झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम–05, 2006) की धारा–4 में संशोधन।
3. धारा– 26 में संशोधन।
4. धारा– 30 में संशोधन।
5. धारा– 35 में संशोधन।
6. धारा– 37 में संशोधन।
7. धारा– 40 में संशोधन।
8. धारा– 72 में संशोधन।
9. धारा– 80 में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित–कर अधिनियम, 05 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को चौसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ– (i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **धारा 4 में संशोधन** – धारा 4 की उपधारा (4) के पश्चात् एक नयी उपधारा (5) निम्नवत् जोड़ी जाएगीः–

   (5) कार्यालय के कार्यों का सुगमतापूर्वक निष्पादन के लिए वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त को वैट अंकेक्षण को वैट अंकेक्षण प्रमण्डल में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच कार्य एवं कार्यवाही आवंटित करने की शक्ति होगी और इसमें एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को कार्यवाही का हस्तांतरण की शक्ति भी सम्मिलित होगी।

3. **धारा 26 में संशोधन**– धारा 26 की उपधारा (2) के पश्चात एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा –

   'बशर्ते इच्छुक व्यवसायी को निबंधन प्रदान करने के पूर्व आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो '।

4. **धारा 30 में संशोधन**– (i) धारा 30 की उपधारा (1) की कंडिका (iv) में अंक 1 प्रतिशत प्रति माह को प्रथम तीन महीनों तक के लिए 'तीन प्रतिशत' एवं अनुवर्ती माह/माहों के लिए '5 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   (ii) धारा 30 की उपधारा 4 कंडिका 4(b) में शब्द के तहत् के पश्चात तथा शब्द उपधारा (2) के पूर्व, शब्द उपधारा (1) या अंतःस्थापित किया जाएगा।

   (iii) उपधारा (4) की कंडिका (d) में शब्द 'बीस' को 'पचास' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

   (iv) उपधारा (4) की कंडिका (d) में शब्द वर्ष में 'अधिकतम पाँच हजार' को 'पच्चीस हजार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5 धारा 35 में संशोधन–

(i) धारा 35 की धारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी :–

(3) उपधारा (5) में उल्लेखित निबंधित व्यवसायी को छोड़कर जहां निबंधित व्यवसायी का सकल आवर्त्त एक करोड़ तक प्रति वर्ष है, के द्वारा :–

(a) किसी अवधि का सभी विवरणी समर्पित किया गया हो।

(b) किसी अवधि का पुनरीक्षित विवरणी एवं वार्षिक विवरणी ससमय एवं विहित रीति से समर्पित हो।

(c) दाखिल विवरणी या पुनरीक्षित विवरणियों के अनुसार देय कर एवं ब्याज, अगर देय हो, का भुगतान किया गया हो।

(d) आवश्यकतानुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन विहित रीति से विहित समय के अंदर जमा किया गया हो।

धारा 19 से आच्छादित व्यवसायियों को छोड़कर धारा 35 की उपधारा (1) के तहत् ऐसे दाखिल विवरणियों को स्वकर निर्धारण हेतु, अंकगणितीय गलतियों को जो विवरणियों पर द्रष्टव्य होगा छोड़कर, धारा 35 की उपधारा (1) उद्देश्य हेतु कर निर्धारण किया हुआ माना जाएगा।

(ii) उपधारा (8) के बाद एक नयी उपधारा (9) निम्नवत् जोड़ा जायगा :–

(9) उपधारा (3) के प्रावधानों के बावजूद आयुक्त द्वारा कर निर्धारण अथवा पुनर्करनिर्धारण हेतु ऐसे व्यवसायियों का चयन किया जायगा जिन्हें वे उपधारा (3) के प्रावधान के तहत् उपधारा (1) के तहत् एक वर्ष में कर निर्धारण हेतु उपयुक्त पायेंगे एवं ऐसा चयन उस वर्ष का एक कैलेन्डर वर्ष के लिए किया जायगा।

(iii) उपधारा (9) के बाद एक नया उपधारा (10) को निम्नवत् जोड़ा जायगा:–

(10) (a) उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत् निबंधित व्यवसायी या उपधारा (2) के तहत् जो व्यवसायी निबंधन योग्य नहीं हैं पर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में स्थान एवं तिथि निश्चित करते हुए उन्हें निदेशित करते हुए सूचना निर्गत किया जायगा कि :–

(i) धारा 91 के प्रावधानों के तहत् व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित हो; या

(ii) साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा विवरणियों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया हो ; या

(iii) उनके व्यवसायी से सम्बद्ध लेखा, पंजी, कैशमेमो अथवा अन्य कागजात प्रस्तुत करेंगे अथवा किया हो।

(b) उपर्युक्त खण्ड (a) का (ii) या (iii) के तहत् उपस्थित व्यवसायी अथवा उनके अभिकर्त्ता की सुनवाई करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करते हुए आयुक्त द्वारा कर निर्धारण अथवा पुनर्करनिर्धारण किया जायगा।

जैसा धारा 35 के उपधारा (9) के तहत् प्रावधानित है आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का हस्तांतरण अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) या वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) या किसी अन्य पदाधिकारी जिन्हें वे उपयुक्त समझें, करेंगें।

6. धारा 37 में संशोधन –

धारा 37 की उपधारा (6) की कंडिका (d) के पश्चात शब्द **'के बराबर'** के पश्चात तथा शब्द **''अतिरिक्त कर की राशि''** के पूर्व शब्द **'दुगुना'** को **''तिगुना''** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. धारा 40 में संशोधन –

(i) धारा 40 की उपधारा (1) के परंतुक में शब्द 'इस उद्देश्य के लिए' शब्द, व्यवसायी द्वारा शासित द्वारा अतिरिक्त निर्धारित कर की राशि के तिगुना के बराबर भुगतान किया जाएगा।

(ii) धारा 40 की उपधारा (1) के परंतुक में शब्द **37 की उपधारा (6) के प्रावधान के तद्नुसार लागू होंगे,** विलोपित किए जाएँगें।

(iii) धारा 40 की उपधारा (b) के पश्चात शब्द **'सूद के रूप में प्रत्येक माह के लिए 5 प्रतिशत की दर'** से को शब्द **''सूद के रूप में छिपाए गए सकल आवर्त्त या छिपाए गए या गलत विवरण पर कर की राशि का तिगुना''** से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. धारा 72 में संशोधन –

(i) धारा 72 की उपधारा 3(a) में शब्द **'प्रेषक'** के पश्चात शब्द या **'प्रेषिती'** जोड़ा जाएगा।

(ii) धारा 72 की उपधारा 5(b) में शब्द **'माल के पश्चात दोनों स्थानों पर'** शब्द **''या माल सहित वाहक या वाहन''** जोड़ा जाएगा।

9. धारा 80 में संशोधन –

धारा 80 की उपधारा (4) में विद्यमान परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा –

'बशर्त्ते धारा 80 की उपधारा (4) के अंर्तगत पुनरीक्षणवाद या आवेदन तब ही स्वीकृत किए जाएँगें जब व्यवसायी द्वारा कर–निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण या अपीलीय आदेश में सन्निहित निर्धारित कर या स्वीकृत कर की पूर्ण राशि जो भी अधिक हो, का भुगतान किया गया हो।'

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 2013 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (विधि) 46(एल०ए०)--50--2-1-2014 ।